अनुदान संख्या 39 - पेंशन
GRANT No. 39 - PENSIONS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**			
प्रभारित -	*Charged-*	*80,00,00*	*75,43,08*	*-4,56,92*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*			*शून्य Nil*
स्वीकृत -	Voted-			
मूल	Original 16920,00,00	17950,00,00	17902,07,56	-47,92,44
पूरक	Supplementary 1030,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 290 के अधीन भारत की समेकित निधि पर प्रभारित और बाद में राज्य सरकारों से वसूल की गई पेंशनों सहित पेंशनों और उपदानों, पेंशनों के सरांशीकृत मूल्य, भविष्य निधियों को अंशदान, निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम-सरकारी भविष्य निधि, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम और निर्धारित अंशदान पेंशन स्कीम के लिए था।

2. अनुदान के *प्रभारित* अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/ हुआ :-

Notes and comments

1. The provision under the grant was mainly for disbursing Pensions and Gratuities including Pensions charged on the Consolidated Fund of India and later recovered from the State Governments under Article 290 of the Constitution, Commuted Value of Pensions, Contributions to Provident Funds, Deposit Linked Insurance Scheme - Government Provident Funds, Central Government Employees Insurance Scheme and Defined Contribution Pension Scheme.

2. In the *charged* portion of grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and other Retirement Benefits	*7990.00*	*7533.61*	*-456.39*

(I) *₹2.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) "सिविल" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) *Appropriation* of *₹2.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head.

(II) Under "Civil" – savings occurred under the following heads:-

(का) "अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - सामान्य पेंशन" - *₹352.22 लाख* की बचत (*₹1595.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(A) "Superannuation and Retirement Allowances – Ordinary Pensions" - saving of *₹352.22 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹1595.00 lakhs*);

(खा) "पेंशन का संराशीकृत मूल्य - सामान्य पेंशन" - *₹102.24 लाख* की बचत (*₹1220.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई ;

(B) "Commuted Value of Pensions – Ordinary Pensions" – saving of *₹102.24 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹1220.00 lakhs*);

(गा) "उपदान - सामान्य पेंशन" - *₹308.89 लाख* की बचत (*₹1650.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(C) "Gratuities - Ordinary Pensions" - saving of *₹308.89 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹1650.00 lakhs*);

(घा) "परिवार पेंशन - परिवार पेंशन" - *₹379.92 लाख* की बचत (*₹880.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई; और

(D) "Family Pensions – Family Pensions" – saving of *₹379.92 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹880.00 lakhs*); and

(ङ) "भारत के राष्ट्रपति की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ - राष्ट्रपति (परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम के अंतर्गत अन्य हकदारियां" - *₹148.66 लाख* की बचत (*₹265.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई।

(E) "Pensions and other retirement benefits of President of India – Other entitlements under the President's (Emoluments and Pension) Act" – saving of *₹148.66 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹265.00 lakhs*).

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम नामावलियों/दावों के प्राप्त होने के कारण हुईं ।

Savings under the above five heads were due to receipt of less scrolls/claims.

3. उपर्युक्त बचतें "सिविल" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

3. The above savings were partly offset by excess under "Civil" - under the following heads:-

(I) "उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार - उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में राज्य सरकारों से वसूली योग्य पेंशन संबंधी प्रभार" - *₹713.01 लाख* का अधिक व्यय (*₹1400.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुआ; और

(I) "Pensionary Charges in respect of High Court Judges - Pensionary Charges in respect of High Court Judges recoverable from State Governments" - excess of *₹713.01 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹1400.00 lakhs*); and

(II) "छुट्टी नकदीकरण - सामान्य पेंशन" - *₹124.31 लाख* का अधिक व्यय (*₹800.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुआ।

(II) "Leave Encashment - Ordinary Pensions" - excess of *₹124.31 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹800.00 lakhs*).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय अधिक नामावलियों/दावों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to receipt of more scrolls/claims.

4. अनुदान के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

4. In the voted portion of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and other Retirement Benefits				
मू.	O.	1687808.00	1790641.00	1786035.42	- 4605.58
पू.	S.	102833.00			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	4192.00	4359.00	4172.14	- 186.86
पू.	S.	167.00			

(I) ₹501.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹500.00 लाख (नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹400.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) अकेले मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल - अन्य पेंशन - एसपीएमसीआईएल पेंशन निधि को देय सरकारी अंशदान" के अंतर्गत नामावलियों/दावों के प्राप्त न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹501.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these ₹500.00 lakhs (including supplementary grant of ₹400.00 lakhs obtained in November, 2011) alone accounted for under Major Head "2071" - "Civil - Other Pensions - Government Contribution payable to SPMCIL Pension Fund" - due to non-receipt of scrolls/claims.

(II) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल" के अंतर्गत नवम्बर, 2011 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained in November, 2011 under Major Head "2071" - "Civil" - remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(का) "परिवार पेंशन - नई निश्चित अंशदायी पेंशन पद्धति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु/अशक्तता होने पर अतिरिक्त राहत - असाधारण परिवार पेंशन" - ₹325.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹125.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹450.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹152.64 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(A) "Family Pensions - Additional Relief on death/disability of Government Servants Covered by the New Defined Pensions Contribution Pension System (NPS) - Extra Ordinary Family Pensions" - the original provision of ₹325.00 lakhs was augmented to ₹450.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹125.00 lakhs. However, there was a saving of ₹152.64 lakhs (including supplementary grant); and

(खा) "छुट्टी नकदीकरण - सामान्य पेंशन" - ₹121000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹10000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹131000.00 लाख कर दिया गया था। तथापि,

(B) "Leave Encashment - Ordinary Pensions" - the original provision of ₹121000.00 lakhs was augmented to ₹131000.00 lakhs by obtaining

₹13761.42 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम नामावलियों/दावों के प्राप्त होने के कारण हुईं।

(III) नवम्बर, 2011 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल - परिवार पेंशन - नई निश्चित अंशदायी पेंशन पद्धति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु/अशक्तता होने पर अतिरिक्त राहत - सामान्य परिवार पेंशन" - ₹450.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹650.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1100.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, ₹95.55 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(खा) मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम सरकारी भविष्य निधियां - सामान्य भविष्य निधियों की संशोधित निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम" - ₹3960.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹167.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹4127.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, ₹145.98 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम नामावलियों/दावों के प्राप्त होने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "पेंशन का संराशीकृत - सामान्य पेंशन" - ₹33455.34 लाख की बचत (₹187500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "उपदान" -

(क) "सामान्य पेंशन" - ₹10948.30 लाख की बचत (₹221685.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

supplementary grant of ₹10000.00 lakhs. However, there was a saving of ₹13761.42 lakhs (including supplementary grant).

Savings under the above two heads were due to receipt of less scrolls/ claims.

(III) Supplementary grant obtained in November, 2011 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2071" - "Civil - Family Pensions - Additional Relief on death/disability of Government Servants Covered by the New Defined Contribution Pension System (NPS) -Ordinary Family Pensions" - the original provision of ₹450.00 lakhs was augmented to ₹1100.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹650.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹95.55 lakhs; and

(B) Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Deposit Linked Insurance Scheme Government Provident Funds - Deposit Linked Insurance Revised Scheme of General Provident Funds" - the original provision of ₹3960.00 lakhs was augmented to ₹4127.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹167.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹145.98 lakhs.

Savings under the above two heads were due to receipt of less scrolls/claims.

(IV) Under Major Head "2071" – "Civil" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Commuted Value of Pensions – Ordinary Pensions" - saving of ₹33455.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹187500.00 lakhs);

(B) "Gratuities" –

(a) "Ordinary Pensions" - saving of ₹10948.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹221685.00 lakhs);

(ख) "नई निश्चित अंशदायी पेंशन पद्धति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु/अशक्तता होने पर अतिरिक्त राहत - सामान्य पेंशन"- ₹242.20 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "Additional Relief on death/disability of Government Servants Covered by the New Defined Contribution Pension System (NPS) - Ordinary Pensions" - saving of ₹242.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs);

(गा) "भविष्य निधियों को अंशदान - सामान्य पेंशन" - ₹1094.17 लाख की बचत (₹2195.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(C) "Contributions to Provident Funds - Ordinary Pensions" - saving of ₹1094.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2195.00 lakhs);

(घा) "विधायकों को पेंशन - संसद सदस्य" - ₹7672.10 लाख की बचत (₹15210.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(D) "Pensions to Legislators - Members of Parliament" – saving of ₹7672.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15210.00 lakhs); and

(ङ) "केन्द्रीय सरकार के अधिशेष घोषित किए गए कर्मचारियों को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अंतर्गत अनुग्रही अदायगियां - सामान्य पेंशन" - ₹329.68 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(E) "Ex-gratia Payments arising out of Special VRS to Central Government Employees declared as Surplus - Ordinary Pensions" - saving of ₹329.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs).

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम नामावलियों/दावों के प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above six heads were due receipt of less scrolls/claims.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹145.46 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 45 प्रतिशत तथा 66 प्रतिशत थीं।

(V) Under two heads savings of ₹145.46 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 45 percent and 66 percent of the sanctioned provision.

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2071"- "सिविल" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

5. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2071"- "Civil"- under the following heads:-

(का) "अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते" -

(A) "Superannuation and Retirement Allowances"–

(क) "सामान्य पेंशन" - ₹22996.71 लाख का अधिक व्यय (नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹45243.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹925300.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ ;

(a) "Ordinary Pensions" – excess of ₹22996.71 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹925300.00 lakhs including supplementary grant of ₹45243.00 lakhs obtained in November, 2011);

(ख) "सामान्य पेंशन (एआईएस)" - ₹4496.27 लाख का अधिक व्यय (नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹8500.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹9500.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ ;

(b) "Ordinary Pensions (AIS)" – excess of ₹4496.27 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9500.00 lakhs including supplementary grant of ₹8500.00 lakhs obtained in November, 2011);

(खा) "पेंशन का संराशीकृत मूल्य - सामान्य पेंशन (एआईएस)" - ₹544.96 लाख का अधिक व्यय (नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹500.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹1000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ ;

(B) "Commuted Value of Pensions - Ordinary Pensions (AIS)" – excess of ₹544.96 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs including supplementary grant of ₹500.00 lakhs obtained in November, 2011);

(गा) "उपदान - सामान्य पेंशन (एआईएस)" - ₹669.34 लाख का अधिक व्यय (नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹500.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹1000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ ;

(C) "Gratuities – Ordinary Pensions (AIS)" - excess of ₹669.34 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs including supplementary grant of ₹500.00 lakhs obtained in November, 2011);

(घा) "परिवार पेंशन" -

(D) "Family Pensions" -

(क) "परिवार पेंशन" - ₹32073.01 लाख का अधिक व्यय (नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹12415.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹201960.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ ;

(a) "Family Pensions" - excess of ₹32073.01 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹201960.00 lakhs including supplementary grant of ₹12415.00 lakhs obtained in November, 2011);

(ख) "सामान्य पेंशन (एआईएस)" - ₹565.95 लाख का अधिक व्यय (नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹499.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹500.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ ;

(b) "Ordinary Pensions (AIS)" - excess of ₹565.95 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹500.00 lakhs including supplementary grant of ₹499.00 lakhs obtained in November, 2011);

(ङ) "छुट्टी नकदीकरण - सामान्य पेंशन (एआईएस)" - ₹304.31 लाख का अधिक व्यय (नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹500.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ ; और

(E) "Leave Encashment - Ordinary Pensions (AIS)" - excess of ₹304.31 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹500.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in November, 2011); and

(चा) "निश्चित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान - सरकारी अंशदान" - ₹2195.46 लाख का अधिक व्यय (नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹24000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹90000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(F) "Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme – Government Contribution" - excess of ₹2195.46 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹90000.00 lakhs including supplementary grant of ₹24000.00 lakhs obtained in November, 2011).

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय अधिक नामावलियों/दावों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

Excess under the above eight heads was due to receipt of more scrolls/claims.